STATE LEVEL SEMINAR ON

"CHILD RIGHTS AND REALITIES"

ORGANIZED BY JHARKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY ON 30th APRIL, 2011

Jharkhand State Legal Services Authority (JHALSA) organized a State Level Seminar on **"Child Rights and Realities"** on 30thApril, 2011 (Saturday) at Nyaya Sadan, Ranchi (Jharkhand).

The programme was inaugurated by Hon'ble Mr. Justice Altamas Kabir, Judge, Supreme Court of India & Executive Chairman, NALSA. In the said programme on Child Rights and Realities all the Hon'ble Judges of Jharkhand High Court, District Judges-cum-Chairmen, District Legal Services Authorities, all the Secretaries, District Legal Services Authorities, Advocates and Members of Child Welfare Committees, actively participated and expressed their views on problems faced by children in India.

Hon'ble **Mr. Justice Altamas Kabir**, Judge, Supreme Court of India-cum-Executive Chairman, NALSA briefed the participants on the National Plan of Action 2011-12 of National Legal Services Authority, which is observing the year 2011-12 as **Child Rights Year.** His Lordship while addressing the participants on **"Child Rights and Realities"** stressed the need that the people should be sensitive and compassionate towards children while expressing grave concern over the burgeoning cases of the rape of kids who are innocent and cannot discern the ulterior motives of adults. His Lordship further said that we should sensitize ourselves to look into the needs and problems of children, their rehabilitation, etc.

The programme was highly appreciated in media and public. It was agreed in general that the mindset of the Civil society should change with regard to children, the judiciary should be actively involved in implementation and action of Child Right Laws and Acts, Under the Juvenile Act steps should be taken for rehabilitation of drug addict children.

रांची

दैनिक भास्कर

रांची, रविवार, 1 मई 2011, 5

विमर्श | झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से चाइल्ड राइट एंड रियलिटी विषय पर आयोजित सेमिनार में जस्टिस अल्तमश कबीर ने छोटे बच्चों की नासमझी का वयस्कों के द्वारा फायदा उठाकर उत्पीड़ित करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर गहरी चिंता जताई। बाकी वक्ताओं ने भी बच्चों के संरक्षण के लिए गैर-सरकारी भूमिका पर बल दिया।

बच्चों के प्रति संवेदनशील बने समाज

समस्या

- दिग्भ्रमित हो चुके वयस्कों की गलत मंशा नहीं भांप पाते हैं बच्चे
- केवल सरकार बच्चों के अधिकारों का नहीं कर सकती है संरक्षण

चिंता

- संरक्षक कानूनों के बाद भी छोटी बच्चियों के साथ यौन दुर्व्यवहार में हो रही वृद्धि
- जिन बच्चों को शादी का मतलब नहीं पता, उनकी हो रही शादी

सुझाव

- सिविल सोसाइटी के माइंड सेट में हो बदलाव
- बाल अधिकार कानूनों के अनुपालन में न्यायपालिका की निभाए सक्रिय भूमिका
- जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत ड्रग एडिक्ट बच्चों के पुनर्वास की हो पहल

न्यायपालिका के प्रयास

- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार(नालसा) की ओर से जागरूकता के प्रसार के लिए वर्ष 2011 को घोषित किया गया चाइल्ड राइट वर्ष
- देश भर में न्यायाधीशों और वकीलों के साथ ही सिविल सोसाइटी को भी सहभागी बनाने की है योजना

भास्कर न्यूज, रांची

[illegible]

कानून का सही तरीके से हो अनुपालन : जस्टिस भगवती

[illegible]

बच्चों के अधिकार का नहीं हो हनन : जस्टिस टाटिया

[illegible]

Hon'ble Judges inaugurating the seminar by lighting the lamp

Hon'ble Mr. Justice Altamas Kabir, Executive Chairman, NALSA addressing the participants

Hon'ble Mr. Justice Prakash Tatia, Executive Chairman, JHALSA addressing the participants

Hon'ble Mr. Justice R.K.Merathia, Chairman, HCLSC addressing the participants

Mrs. Minna Kabir, Child Rights Activist addressing the participants

Judicial Officers & Other Participants of the Seminar

Hon'ble Judges of Jharkhand High Court attending the programme

Sri U. Sarathchandran, Member Secretary, NALSA and Other Judicial Officers participating in Seminar.

प्रभात खबर www.prabhatkhabar.com रांची, रविवार, 1 मई, 2011 12

बच्चों को दुलार व सुरक्षा दें : जस्टिस कबीर

बच्चों के अधिकार पर गोष्ठी

वरीय संवाददाता ■ रांची

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस अलतमस कबीर ने कहा है कि बच्चों को दुलार और सुरक्षा दोनों की जरूरत है. बच्चों के अधिकार तभी संरक्षित हो सकते हैं, जब सिविल सोसाइटी के लोग बाल अधिकार कानून, शिक्षा के अधिकार को सख्ती से लागू कराने में सरकार को मार्गदर्शन देंगे. जस्टिस कबीर शनिवार को झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेस अथॉरिटी (झालसा) और नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी (नालसा) के संयुक्त तत्वावधान में न्याय सदन, डोरंडा में आयोजित बच्चों के अधिकार विषयक गोष्ठी को संबोधित कर रहे थे.

सेमिनार का उदघाटन करते जस्टिस अलतमस कबीर. साथ में हैं चीफ जस्टिस भगवती प्रसाद.

जस्टिस बोर्ड का गठन होना चाहिए. जस्टिस कबीर के अनुसार आज सभी जगहों पर बाल अधिकार कानून का हनन हो रहा है. उन्होंने जिला न्यायालयों के मामलों पर ... ग्रह किया.

झारखंड हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भगवती प्रसाद ने कहा कि बाल अधिकार कानून का सख्ती से अनुपालन के बजाय मानसिकता में बदलाव लाने की आवश्यकता है. बच्चों के प्रति हिंसा, बाल विवाह व अन्य मामलों में कई खामियां हैं, कानून भी है. पर उससे बच्चों को न्याय नहीं मिल रहा है. सिविल सोसाइटी को इस पर गंभीरता से सोचना होगा. झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष सह न्यायमूर्ति प्रकाश टाटिया ने कहा कि भारतीय बच्चे दुनिया भर में सबसे ज्यादा यौन उत्पीड़न के शिकार हैं. प्रत्येक 115वें मिनट में एक बच्चा इसका शिकार हो रहा है. देश भर में 4975 ऐसे मामले दर्ज किये गये हैं. उन्होंने कहा कि 11 करोड़ से अधिक बाल मजदूर देश भर में हैं. इतना ही नहीं भारत में प्रत्येक तीसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है. यह देश की सबसे बड़ी विडंबना है, जहां बच्चों के अधिकार का संरक्षण नहीं हो पा रहा है. उन्होंने कहा कि संविधान की धारा 21(ए) के तहत शिक्षा का अधिकार सबको दिया गया है, लेकिन इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है. उन्होंने बाल विवाह जैसी कुप्रथा पर रोक लगाने की वकालत भी की. कार्यक्रम में सभी का स्वागत न्यायमूर्ति आरके मेरठिया ने किया.

हिन्दुस्तान 1-5-2011 रविवार

बच्चों के साथ संवेदनशी[ल] बनें : न्यायमूर्ति कबीर

विचार रखते न्यायाधीश अलतमस कबीर व मंचासीन भगवती प्रसाद व अन्य।

रांची | संवाददाता

हाइकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अलतमस कबीर ने कहा कि लोगों को बच्चों के साथ संवेदनशील होने की जरूरत है।

उन्होंने बाल यौन अपराध पर चिंता जताते हुए कहा कि यह समाज के लिए ... समाज इन विषयों पर ... कहा कि बाल ... कानून हैं। उनका ... से नहीं हो पा रहा ... शनिवार को झारखंड ... अधिकार तथा नालसा ... में चाइल्ड राइट्स ... पर न्याय सदन में ... को कबीर मुख्य ... रहे थे।

उद्घाटन करते हुए ... के मुख्य न्यायाधीश ... कहा कि बच्चों के ... देने के लिए पैसे ... हैं, मगर अनदेखा ... अनुपालन में ...

बाल यौन अपराध [...]

- बाल अधिकार के लिए कई ... पर उनका अनुपालन सही ... नहीं हो पा रहा
- ऐसी परिस्थिति में न्यायपालि[का] की जिम्मेदारी बढ़ जाती है
- देशहित में हमें बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य, पोषाहार तथा शिक्षा ... काम करना होगा

जाती है।

उन्होंने कहा कि आज वैसे ... शादी होती है, जिन्हें इसका मत[लब] नहीं पता होता है। खतरा काफी ... है, इसे पाटना होगा।

हाईकोर्ट के न्यायाधीश ... टाटिया ने कहा कि भारत में बच्च[ों] की घटनाएं काफी होती हैं। तीन ... कुपोषित बच्चे भारत में रहते हैं। ... में हमें बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य, ... तथा शिक्षा पर काम करना होग[ा]।

इस मौके पर झारखंड हा[इकोर्ट] ... न्यायाधीश, विभिन्न जिलों के ... समिति के ... जूद थे।

2 सन्मार्ग रांची, रविवार, 1 मई 2011

बाल अधिकारों पर जागरूकता जरूरी : न्यायमूर्ति कबीर

कार्यालय संवाददाता

रांची : बाल अधिकारों के लिए जनता को जागरूक होना होगा। सूबे की सरकारें बाल अधिकार कानून का अनुपालन करने में कोताही बरत रही हैं। उपरोक्त कथन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अलतमस कबीर के हैं। वह शुक्रवार को न्याय सदन में आयोजित बाल अधिकार संरक्षण संबंधी संगोष्ठी के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। इसका आयोजन नालसा व झालसा के संयुक्त तत्वावधान में किया गया था। उन्होंने कहा कि न्यायिक पदाधिकारियों व अधिवक्ताओं को भी बाल अधिकारों के बच्चों की शादी नहीं करने की सलाह भी दी।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने किया संगोष्ठी का उद्घाटन

इसके पूर्व झारखंड हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भगवती प्रसाद ने कहा कि बच्चे ही देश के कर्णधार होते हैं। उन्हें अधिकार व कर्तव्य की जानकारी देनी होगी। इसे सरकार के अलावा समाज के लोगों को गंभीरता से लेना होगा। मौके पर न्यायमूर्ति पीएस टाटिया, पूनम श्रीवास्तव, एनएन तिवारी, न्यायमूर्ति डीएन उपाध्याय, बार कौंसिल के अध्यक्ष पीसी त्रिपाठी, पूर्व महाधिवक्ता सुहैल अनवर, दर्जनों अधिवक्ता व न्यायिक पदाधिकारी मौजूद थे।

THE TELEGRAPH CALCUTTA SUNDAY 1 MAY 2011

SC judge calls for using law to protect children

OUR CORRESPONDENT

Ranchi, April 30: Supreme Court judge Altamas Kabir today called upon the judiciary to evolve itself in such a way so as to champion the cause of child rights in the state.

Kabir, who was in the state to inaugurate a two-day workshop being conducted by Jharkhand State Legal Services Authority (Jhalsa), also emphasised on nurturing children in a proper way so that they were able to shoulder the responsibilities of society.

"Children are the future of the country and should be brought up in a good environment," Kabir said addressing a gathering after the inauguration of the workshop at the Nyay Sadan here.

Further underlining the importance of implementing laws enacted for children, the apex court judge questioned the commitment of judicial officers of the state and what they had done to ensure the rights of children.

"We have to become their voice and help them find a place for themselves in this world," explained Kabir.

The workshop, which comes in the wake of National Legal Services Authority (Nalsa) having declared this as the year of child rights awareness, also saw the likes of high court Chief Justice Bhagwati Prasad and judge Prakash Tatia participating in it.

"There are laws in place to protect the interest of children, but the bigger question is whether these laws were being implemented properly?" Bhagwati Prasad said, adding that the entire state judiciary system should commit itself for safeguarding the interest of children.

Justice Tatia, who is also Jhalsa executive chairman, laid emphasis on the needs of health, nutrition and education in helping children. "The condition of children in terms of their health and education ought to be taken care of by the government through its agencies. The state also needs to check the rising number of cases of children being exploited," he said.

Altamas Kabir addresses the workshop in Ranchi on Saturday. (Picture: ...)

SUNDAY HINDUSTAN TIMES
RANCHI, MAY 1, 2011

Be sensitive towards childre[n], says SC judge

Jeevant Saran

[R]ANCHI: Justice Altamas Kabir of the Supreme Court on Saturday stressed the need to [as]k people to be sensitive and compassionate towards children while expressing grave concern over the burgeoning cases of the rape of kids who are innocent and cannot discern the ulterior motives of adults.

Justice Kabir was speaking at a state-level seminar on "Child Rights and Realities" organised by the Jharkhand State Legal Services Authority (JALSA) here at Nyay Sadan.

Addressing a huge gathering of judges, advocates and members of child welfare committees (CWC), Justice Kabir said that we should sensitise ourselves to look into the needs and problems of children. He appealed to district judicial officials to go to the grassroots level to see that the laws enacted for the care and protection of children were implemented in the right per[s]pective.

Emphasising the ne[ed for] proper rehabilitation o[f children] in conflict with law, Ju[stice ...] said it would prevent th[em from] going back to the sam[e ...] A child rescued fr[om] ... occupation, ... trafficking, an abu[se] ... or other such exploi[t]ations must be provi[ded] ... rehabilitation ... minimal damage to th[e] ...

Chief Justice Bhagw[ati ...] said, "Only enactmen[t] would not suffice, ... more is required to be ... the children." He str[essed] providing a strong ... protection to childre[n] ... nature has provided ... protection to the tende[r] fruit, which cannot b[e] peeled until it is ripe.

Expressing concern ... alarming facts, Justice Tatia observed that ... the largest number ... children and every th[ird] ... suffering from malnu[trition in] the world lives in India.

(Third from left) SC judge Justice Altamas Kabir, Chief J...